

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-संजय शर्मा

G.C.M.S. No : 2025/191

अपील संख्या 124/2025

तारीख रजू 15.10.2025

कपूर पुत्र देवीराम मीना निवासी बडौद, तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार।

— रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति -

श्री हरिमोहन जाट एडवोकेट

- अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व

- रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 09.04.2026

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 119/2025 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बडौद के आराजी खसरा नम्बर 570/1 रकबा 7.07 बीघा किस्म गै.मु.तलाई पर संवत् 2082 फसल खरीफ में अनाधिकृत रूप से बगीचा, निर्माणाधीन मकान, धान फसल कांश्त/कब्जा कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए तीन माह (90 दिवस) के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त होने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों का सही प्रकार से विवेचन नहीं किया है एवं गलत प्रकार से अपना निर्णय पारित किया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया है कि अपीलाण्ट/प्रार्थी कोई सम्मन नोटिस नहीं मिला तथा नहीं अपीलाण्ट की कोई प्रोपर तामिल ही हुयी है अगर अपीलाण्ट को सम्मन नोटिस मिलता और तामिल हो जाती तो अपीलाण्ट अपने पक्ष में साक्ष्य सफाई पेश करता। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया है कि उक्त आराजीयात ख0नं0 570/1 रकबा 7.07 बीघा किस्म गै.मु. तलाई वाके ग्राम बडौद पर अपीलाण्ट का वर्तमान में कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा नहीं अपीलाण्ट कोई पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है। मात्र पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर अपीलाण्ट को न्यायालय ने जुर्माना एवं सजा से दंडित किया है इसलिये न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। यह कि उक्त आराजीयात के आसपास के खेत वालो के पटवारी हल्का ने कोई बयान नहीं लिये है तथा सीधे ही कार्यालय में बैठकर स्वेच्छाचारी रिपोर्ट पेश की है। प्रार्थी अपीलाण्ट का कब्जा अपनी खातेदारी के तहत आराजीयात पर है



2/4

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर


जिस पर सुचारु रूप से कब्जा काश्त करता चला आ रहा है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए अपने निर्णय में यह अंकन नहीं किया है कि कब किस साल, सम्वतों में अपीलान्ट ने क्या फसल काश्त की है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2025 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की तामील हुई है। बाद तामील अपीलान्ट नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। अतः अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर हो जाती है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि के संबंध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पूर्ववर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता हो। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस एक शपथ पत्र इस आशय का पेश किया कि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर वर्तमान में कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही अपीलान्ट भविष्य में कब्जा काश्त करेगा, इसलिए अपील अपीलान्ट सजा की हद तक स्वीकार किया जाने योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट अतिचारी अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का एक शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा/कब्जा-काश्त नहीं है तथा उक्त शपथ-पत्र का अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावे। यदि भौतिक सत्यापन में अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड बहाल रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर